FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

पृष्ठ संख्या .....

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सरमथुरा जिला धौलपुर (राज.)

उनवान ..... बनाम राज० सरकार

किस्म मुकदमा प्रा०धारा 136 LR Act 262 RKWA. प्रकरण संख्या - 02/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/11/24	पत्रावली पेश/ वकील उपस्थित उप०/ पत्रावली में तकमील समन व आख्या समय चाहा गया जो दिया गया/ अग्रिम बहस पत्रावली दिनांक 6/2/24 को पेश हो। उपखण्डाधिकारी सरमथुरा (धौलपुर) राज.	
6/2/24	पत्रावली पेश/ वकील उपस्थित उप०। प्रा०का० बहस सुनी गई। बाद बहस पत्रावली का अवलोकन किया गया/ संलग्न प्रपत्र दस्तावेजात्मो व रिपोर्ट पटवारी का अध्ययन किया गया/ बहस के बिन्दुओं का मनन किया गया/ समस्त अध्ययन व मनन से स्पष्ट है कि मुसमिल रिपोर्ट पटवारी पार्टी के आपसी सर्वा० 654 रकबा 0.0900 हैक्टेयर की आकृति में पुराने नक्शे से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वक्त बहस वकील नक्शा दौरा को संलग्न नक्शा पुराना नक्शा के ऊपर रखकर देखा गया तो दोनों की आकृति समान पाई गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि सायत की आराजी की आकृति में नक्शा लड़ा वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः सायत द्वारा प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्य गलत पाये गये। इसी स्थिति में प्रार्थनापत्र सायत खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से लगा हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्डाधिकारी सरमथुरा (धौलपुर) राज.	